ग्रामीण विकास कार्यो में जनप्रतिनिधियों की लैंगिक स्थिति का प्रभाव: एक अनुभवमूलक विश्लेषणात्मक अध्ययन

शिवकरण निमल*

शोध सारांश

भारत में वैदिककाल से ही पंचायत प्रणाली विद्यमान रही है। पंचायत राज प्रणाली में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तक महिलाओं का स्थान नगण्य था। परन्तु संविधान संशोधन के बाद एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 में भी महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये हैं। महिलाओं को 50 प्रतिशत तक आरक्षण देने की पहल भी राजस्थान में 2008 में की गई, परन्तु न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण यह क्रियान्वित नहीं हो पाई। प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयत्न किया गया है, कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने से ग्रामीण विकास कार्यो पर क्या प्रभाव पड़ता है? अध्ययन क्षेत्र में किये गये साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, ग्रामीण विकास कार्यो में लैंगिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु विस्तृत रूप में कहा जा सकता है कि सामान्यतः ग्रामीण विकास में पंचायत स्तर पर उनकी लैंगिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, परन्तु पंचायत समिति विकास कार्यों पर प्रधान सहित सदस्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अपितु कई पंचायतों में तो महिलाओं ने काफी सराहनीय कार्य करवाये हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं में प्रदान किये गए आरक्षण से महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है।

मुख्य शब्द–पंचायती राज, ग्रामीण विकास, लैंगिक स्थिति, महिलाएं।

प्रस्तावना–

भारत की अधिकांश आबादी ग्रामों में निवास करती है। अतः गांवों का विकास किए बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। हमारे देश के गांवों के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है।[1] पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की रीढ़ है। पंचायती व्यवस्था का मूलभूत लक्ष्य यही है कि गांवों से पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित करके एक ऐसे समतामूलक समाज की रचना की जाए जिसमें असमानता, अन्याय व शोषण की लकीरें विद्यमान नहीं हो।[2] पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन्' से हुई है। पंचायत 'पंच' और 'आयत' दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पांच सदस्यों की एक ऐसी संस्था से है, जो गाँवों के लोगों द्वारा निर्वाचित होती है।[3] शाब्दिक दृष्टि से पंचायती राज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों पंचायत और राज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है–पांच जनप्रतिनिधियों के समूह का शासन। ये पाँच प्रतिनिधि हैं–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र तथा परमेश्वर।[4] सर चार्ल्स मैटकाफ ने भारत के आत्मनिर्भर गाँवों को 'लघु गणराज्य' का नाम दिया था।[5] वैदिककाल में सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। वस्तुतः समस्त प्रजा को सामूहिक रूप से 'समिति' कहा जाता था, जबकि ग्राम की प्रमुख संचालक संस्था को 'सभा' कहा जाता है।[6] अथर्ववेद में 'सभा' और 'समिति' को प्रजापति की दो युग्म कृतियाँ कहा गया है।[7] महाकाव्य काल में ग्राम या गाँव ही प्रशासन की इकाई थी और ग्रामणी इसका प्रमुख था।[8] रामायण और महाभारत काल में भी पंचायत जैसी संस्थाओं का पर्याप्त उल्लेख मिलता है।[9] बौद्ध काल में पंचायतें अपने उत्कृष्टतम् स्वरूप और गाँव पूर्ण स्वावलम्बी प्रजातांत्रिक प्रकृति में थे जिसका मुखिया 'ग्रामयोजक' कहलाता था और गाँव के सभी मुद्दों को सुलझाता था।[10] मौर्यकाल में स्थानीय शासन बहुत विकसित था। मौर्यकाल में ग्राम शासन की सबसे निचली इकाई थी, जिसका शासक ग्रामिक कहलाता था।[11] सल्तनत काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थी।[12] मुगलकाल में स्थानीय शासन सुचारू रूप से संचालित किया जाता था। अबुल फजल द्वारा लिखित आईन–ए–अकबरी में नगरीय जीवन और प्रशासन का समुचित वर्णन किया है।[13] मुगलकाल में गाँव स्तर पर मुख्य रूप से चार अधिकारी रहते थे– मुकदम, पटवारी, चौधरी तथा चौकीदार।[14] ब्रिटिश काल के अन्तर्गत स्थानीय शासन का श्रेष्ठ विवरण मिलता है। स्थानीय शासन की इकाईयों को निर्वाचित रूप देना, उसे

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
व्याख्याता राज. विज्ञान, शिक्षा विभाग, राजस्थान

करारोपण की शक्ति प्रदान करना और प्रजातंत्र की पाठशाला के रूप में विकसित करने का कार्य ब्रिटिश काल में ही शुरू हुआ था। 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। इसलिए ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का प्रारम्भ 1687 ईस्वी से माना जा सकता है।[15] ब्रिटिशकाल में स्थानीय स्वशासन के विचार का सर्वाधिक बल लार्ड रिपन की उदारवादी नीतियों के फलस्वरूप ही मिला।[16] हाबहाउस की अध्यक्षता में बने इस रॉयल कमीशन ने 1909 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने मुख्यतः लार्ड रिपन के प्रस्तावों का ही अध्ययन किया था। ऐसा माना जाता है कि संवैधानिक महत्व के किसी दस्तावेज में पंचायत शब्द का प्रथम बार प्रयोग इसी आयोग की रिपोर्ट में हुआ था।[17] भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत शासन का विभाग प्रांतीय सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीन आ जाने से उत्तरदायी बना दिया गया।[18] 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् 26 जनवरी 1950 को भारत में नया संविधान प्रवर्तित हुआ। इस संविधान के अंतर्गत स्थानीय स्वायत शासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया।[19] पंचायती राज की चर्चा करते समय गांधी जी का स्मरण अवश्य किया जाता है। परन्तु महात्मा गांधी ने जिस पंचायती राज के माध्यम से ग्राम स्वराज की कल्पना की थी वह कल्पना बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध की प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों हेतु तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में की गई थी।[20] 2 अक्टूम्बर,1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया।[21] 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की गई, जिसका आशय सामुदायिक विकास परियोजना एवं देश सेवा प्रसार योजना का अध्ययन और आंकलन करना था।[22] बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। बलवंत राय मेहता को भारत के 'पंचायती राज व्यवस्था' वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है।[23] अशोक मेहता की अध्यक्षता में 12 दिसम्बर 1977 को जनता पार्टी की सरकार ने ''पंचायती राज संस्था समिति'' की स्थापना की। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 21 अगस्त 1978 को प्रस्तुत किया तथा अशोक मेहता ने पंचायती राज के संबंध में ''प्रजातांत्रिक प्रबंध की विचारधारा'' को जन्म दिया।[24] 16 जून 1986 को ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार ने श्री लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जिसने 5 नवम्बर 1986 को विचार पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रारूप में पंचायती राज की पृष्ठभूमि एवं उनके विकास में बाधक तत्वों की विषद् व्याख्या की गयी थी। समिति का विचार था कि नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 40) में यह स्पष्टतः अंकित है कि राज्य इन संस्थाओं को गठित कर एवं उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर इतना सक्षम बनायेगा कि वे स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर सकें।[25] 22 दिसम्बर 1992 को पी.वी. नरसिंम्हा राव सरकार के नेतृत्व में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक 64वें संविधान संशोधन विधेयक की ही संशोधित प्रति थी।[26] भारत के अन्य क्षेत्रों की भाँति ही राजस्थान में भी ग्राम पंचायतें प्राचीन काल से विद्यमान थीं। राजस्थान से प्राप्त लेखों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर वे कार्यकारिणी समितियाँ, या इन्हें ग्राम पंचायत कहना अधिक सही होगा, विद्यमान थीं। वे ''पंचकुली'' कहलाती थीं और ये मुखिया की अध्यक्षता जिसे महन्त कहा जाता था, कार्य करती थीं। ''राजकुल'' द्वारा दिये जाने वाले दान की सूचना पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना आवश्यक समझा जाता था। इससे प्रतीत होता है कि उन दिनों ग्राम पंचायतें कितने महत्व की संस्था थीं।[27] 1948 में ही राजस्थान सरकार ने ''राजस्थान पंचायत अध्यादेश'' पारित किया और 1948 में ही राजस्थान के उदयपुर राज्य में निर्वाचित पंचायत की स्थापना का शुभारम्भ किया गया। 1953 में राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने पर यह 1 जनवरी 1954 को लागू किया गया।[28] पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दृष्टि से राजस्थान सरकार द्वारा गठित सादिक अली समिति ने 1963–64 एवं गिरधारी लाल व्यास ने 1973 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी परन्तु इन पर आंशिक कार्यवाही ही सम्पन्न हुई।[29] 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनुपालना में राजस्थान में पूर्व चले आ रहे अधिनियमों को मिलाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया, जो कि 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। इस अधिनियम में पंचायत समिति में सरपंचों एवं जिला परिषद् में प्रधानों की पदेन सदस्यता का अभाव था। राजस्थान में जनवरी 2000 में इसमें संशोधन किया गया और सरपंच और प्रधान को पदेन सदस्यता प्रदान की गई।[30] इसके अतिरिक्त 2008 एवं 2014 में भी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किये जा चुके है। 2008 में राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। जिनके अनुसार वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है।[31] परन्तु यह प्रावधान न्यायालय द्वारा 2010 में निरस्त किये जाने के कारण अस्तित्व में नहीं आ सका। फिर भी 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं को प्रदान की गयीं। हालांकि कुछ प्रांतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में प्रदान किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भरता की दृष्टि से यह उचित भी है। महिलाएं आगे आयें और राजनीतिक क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ योगदान दे सकें, इसके लिए यह जरूरी भी है कि उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता प्रदान की जानी चाहिए।

प्राक्कल्पना–
पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण विकास कार्यो पर लैंगिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध के उद्धेश्य–
यह जानने का प्रयास करना कि ग्रामों के विकास कार्य निष्पादन पर निर्वाचित उम्मीदवारों की लैंगिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है।

साहित्यिक समीक्षा–
1. अमित पुरोहित (2013) ने ''पंचायती राज व्यवस्था'' शीर्षक पुस्तक में लेखक ने विभिन्न अध्यायों के अन्तर्गत सीधी,सरल भाषा में प्राचीन काल, अंग्रेजों का काल एवं आजादी के बाद के काल में पंचायतों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डाला है। लेखक ने 73वें संविधान संशोधन, 1992 का विस्तारपूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया है। लेखक ने पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया, पंचायत जनप्रतिनिधियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य, पंचायतों की आय के श्रोत, पेसा एक्ट, महिलाओं की स्थिति, पंचायती राज और ई–गवर्नेंस, पंचायती राज मंत्रालय आदि बिन्दुओं पर भी विस्तार से सामग्री प्रस्तुत की गई हैं।[32]
2. निरंजन मिश्र ने (2006) ने ''भारत में पंचायती राज'' शीर्षक पुस्तक में भारत में पंचायती राज संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। पंचायती राज के उद्भव एवं विकास पर विस्तृत वर्णन किया गया है। सम्पूर्ण पुस्तक को सात खण्डों में विभाजित किया गया है। 'प्रथम खण्डः पंचायती राज का क्रमिक विकास का वर्णन किया है। द्वितीय खण्ड भारत में पंचायती राज संस्थाएं एक नजर' में लेखक ने राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में प्रभावी पंचायती राज अधिनियमों का सविस्तार वर्णन किया है। 'तृतीय खण्ड विविध राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप' में लेखक ने भारत के 28 राज्यों व 7 संघ शासित क्षेत्रों के अन्तर्गत पंचायती राज के ढाँचे का सविस्तार उल्लेख किया है। 'चतुर्थ खण्ड पंचायती राज एवं विकेन्द्रीकृत योजना' में लेखक ने तीन आधारभूत प्रश्नों विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण विकास और जन भागीदारी पर प्रकाश डाला है। 'पंचम खण्ड पंचायती राज और जनाकांक्षी प्रशासन के तीन आयामों (लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रित योजना एवं उत्तरदायी प्रशासन) को स्पष्ट किया है। 'षष्ट्म खण्ड पंचायती राज और ग्रामीण विकास योजनाएं' में लेखक ने ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं का वर्णन किया है। 'सप्तम् खण्ड पंचायती राज : आधारभूत समस्याएं और समाधान' में लेखक ने पंचायती राज में जन–आस्था, अनुपयुक्त आकार, वित्तीय संकट, तकनीकी क्षमता का अभाव, अधिकारियों एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में परस्पर संघर्ष, अपर्याप्त राजनैतिक इच्छा इत्यादि समस्याओं का वर्णन एवं समाधान भी प्रदान किया है।[33]
3. डॉ. सुरेन्द्र कटारिया (2006) ने ''पंचायती राज संस्थाएं : अतीत, वर्तमान और भविष्य'' शीर्षक प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने पंचायती राज संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया है। सम्पूर्ण पुस्तक को दस भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में पंचायती राज के उद्भव एवं विकास पर जानकारी प्रदान की गई है। द्वितीय अध्याय में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय अध्याय में गोलमेज सम्मेलन पर जानकारी प्रदान की गई है। चतुर्थ अध्याय में न्याय पंचायतों के संदर्भ में विवेचन किया गया है। पाँचवें अध्याय में पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय प्रशासन में लेखक ने पंचायतों के आय के साधनों, राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग के बारे में बताया है। छठें अध्याय में भारत में विभिन्न राज्यों में गठित जिला आयोजना तंत्र एवं खण्ड आयोजना तंत्र का विस्तार से वर्णन किया है। सातवें अध्याय में केरल राज्य के सन्दर्भ में वहाँ पर कार्यरत् पंचायती राज संस्थाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। आठवें अध्याय में ग्रामीण विकास की अधिकांश योजनाओं का सांगोपांग विवेचन किया है। नौवें अध्याय में पंचायती राज संस्थाओं के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष का विवेचन किया है। जयपुर में आयोजित जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला में आये सुझावों को भी उल्लेखित किया गया है। दसवें अध्याय में भविष्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए 'एस.के.मॉडल' प्रस्तुत किया है। लेखक द्वारा पंचायती राज के भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों स्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।[34]
4. धर्मेन्द्र यादव (2006) ने ''पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास'' शीर्षक पुस्तक में बताया है कि पंचायतें प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण समाज का अभिन्न अंग रही हैं। ग्रामीण भारत के आर्थिक सामाजिक परिवेश की उन्नति एवं प्रगति में पंचायतों की भूमिका स्वतंत्रता पूर्व तक अत्यन्त प्रभावशाली रही। महात्मा गांधी ग्रामीण भारत को स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्वायत्तता एवं लोकतांत्रिक स्वरूप को अधिमान्यता प्रदान की। स्वतंत्रता के बाद केन्द्रीय नियोजन की विसंगतियों के उन्मूलन के लिए विकेन्द्रीकरण ने ग्रामीण विकास की राह को सुगम बनाया। सत्ता के विकेन्द्रीकरण में ग्रामीण जनता को विकास प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की गई। पंचायती राज प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें विभिन्न पंचायती राज अधिनियमों की सहायता से ग्रामीण विकास को संपूर्णता प्रदान कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में

प्रस्तुत पुस्तक में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं विकास में भूमिका को पाँच अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।[35]

5. मधु राठौड़ (2002) ''पंचायती राज और महिला विकास'' शीर्षक पुस्तक में लेखक ने पंचायती राज की वर्तमान एवं भविष्य की स्थिति तथा इससे संबंधित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रक्रियागत पहलुओं का विश्लेषण किया है। प्रस्तुत पुस्तक को 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। लेखक ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के दिए गए आरक्षण के पश्चात् विकास कार्यों में उनकी भूमिका को चिन्हित किया है। लेखक ने महिलाओं से संबंधित समस्याओं के अन्तर्गत साक्षरता, कानून, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों का हल पंचायती राज के माध्यम से ढूँढ़ने का प्रयास इस पुस्तक में किया है। भविष्य में महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने एवं पंचायती राज में उनकी पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन के उपायों को भी शामिल किया है।[36]

6.कमला वास्कले (2014) ने ''73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं का बड़वानी जिले की अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के विकास पर प्रभाव'' में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास की स्थिति क्या है, इसका पता लगाने का प्रयास किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। आरक्षण के पश्चात् अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है। परन्तु पुरूष प्रधान समाज में फिर भी उनका समुचित विकास नहीं हो पाया है। इस शोध में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्वों का विश्लेषण किया गया है।[37]

7. कु. अंशु वर्मा (2013) ने ''सरगुजा जिले में ग्राम पंचायतें एवं ग्रामीण विकास (लखनपुर तहसील के विशेष संदर्भ में)'' में छतीसगढ़ राज्य के अत्यंत पिछड़े जिले सरगुजा की 166 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण विकास को अध्ययन का विषय बनाया है। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने विवेचित किया है कि भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था ही है। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रस्तुत शोध पंचायती राज व्यवस्था एवं जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास के मध्य आर्थिक संतुलन एवं निचले स्तर के विकास से संबंधित है।[38]

8. स्मिता श्रीमाली (2012) ने ''पंचायती राज व्यवस्था में दलित महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका उदयपुर जिले के संदर्भ में एक अध्ययन'' में पंचायती राज व्यवस्था में दलित महिलाओं के नेतृत्व के बारे में गहन समीक्षा प्रस्तुत की है। यह शोध कार्य सात भागों में विभाजित है। प्रस्तुत शोधकार्य में शोधार्थी ने पंचायती राज व्यवस्था के महत्त्व एवं प्रासंगिकता पर विचार प्रस्तुत करते हुए, पंचायती राज के ऐतिहासिक विकास क्रम पर प्रकाश डाला है और 73वें संविधान संशोधन पर गहन चिन्तन मनन प्रस्तुत करते हुए, उदयपुर जिले को आधार बनाकर दलित महिला जनप्रतिनिधियों के दृष्टिकोण एवं भूमिका का विवेचन प्रस्तुत किया है।[39]

शोध प्रविधि एवं स्रोत–

निर्देशन–

राजस्थान में साक्षरता के मामले में झुन्झुनूँ जिला विगत तीस सालों से काफी ऊँचे पायदान पर है। प्रस्तुत शोधकार्य में इसी जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति के प्रधान (1) सदस्य (26) सरपंच (40) एवं देवप्रतिचयन विधि से प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक वार्ड पंच सहित कुल 107 जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया है। परन्तु 20 सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण केवल 87 सदस्यों का ही साक्षात्कार किया जा सका है। अतः उपरोक्त शोध कार्य में 87 जनप्रतिनिधियों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला गया है।

तथ्यों का संकलन–

प्रस्तावित शोध को सम्पादित करने के लिए शोधकर्त्ता द्वारा तथ्यों का संकलन 2 स्रोतों के माध्यम से किया गया है।

(अ) प्राथमिक आँकड़े–

प्राथमिक आँकड़ों का संकलन शोधकर्त्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर विध्यानुसार चयनित जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार अनुसूचियां भरवाकर किया गया है।

(ब) द्वितीयक आँकड़े–

द्वितीयक आँकड़ों के संकलन के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, उपलब्ध लेख एवं शोध पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, सरकारी मासिक एवं त्रैमासिक पत्रिकाएं, विभिन्न वेबसाइट्स इत्यादि का उपयोग करते हुए, आंकडों का संकलन किया गया है।

उत्तरदाताओं का वर्गीकरण– अध्ययन क्षेत्र से कुल 107 उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिनमें से 87 उत्तरदाताओं ने लैंगिक स्थिति के अनुसार 44 पुरूष, 43 महिलाओं और 0 ट्रांसजेंडर ने भाग लिया है। अध्ययन में निरक्षर 6, आठवीं तक 14, दसवीं तक 7, 12वीं तक 19 तथा स्नातक व उच्च शिक्षा प्राप्त 41 उत्तरदाता शामिल हुए हैं। लैंगिक स्थिति और शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्गीकरण सारणी 1 व 2 में है–

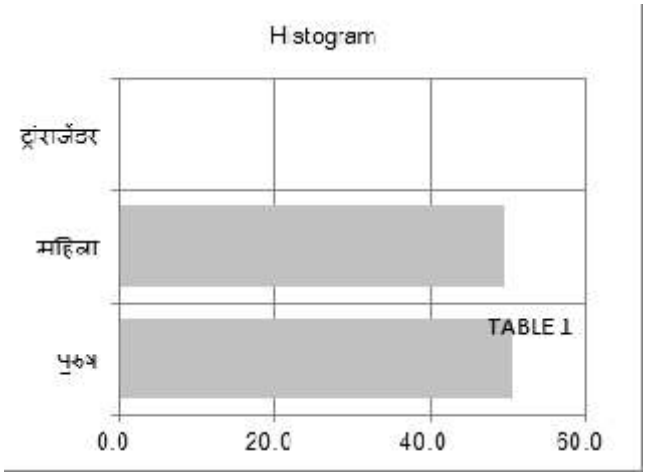

स्रोत अध्ययन क्षेत्र रिपोर्ट 2017

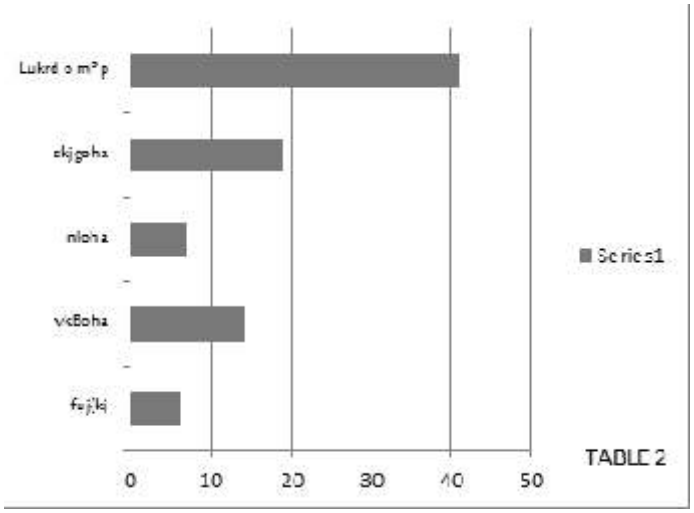

स्रोत अध्ययन क्षेत्र रिपोर्ट 2017

प्रश्न1– गाँवों के विकास कार्यों पर निर्वाचित सरपंच एवं वार्ड पंच की लैंगिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से निर्वाचित सरपंच एवं वार्ड पंच की लैंगिक स्थिति का ग्राम विकास कार्यों पर प्रभावों को मापने/जानने का प्रयास किया गया। इस विषय पर कुल 87 उत्तरदाताओं के मत जाने गए। प्राप्त आँकड़ों (तालिका 3) के अनुसार स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के 42.5 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत है कि निर्वाचित सरपंच/पंच लैंगिक स्थिति का ग्रामीण विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। जबकि 14.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर पूर्ण सहमति दी है कि ग्रामीण विकास कार्यों पर सरपंच एवं वार्ड पंच की लैंगिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ इस तथ्य पर असहमति 33.3 प्रतिशत है। जबकि पूर्ण असहमति 2.3 प्रतिशत है। मात्र 6.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस विषय पर जानकारी का

अभाव है। इस प्रकार व्यापक रूप में देखा जाये तो 67.4 प्रतिशत यह मानते हैं कि निर्वाचित सरपंच व वार्ड पंच की लैंगिक स्थिति ग्रामीण विकास कार्यो को प्रभावित करती है। जबकि 35.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार लैंगिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

Q1	*frequency*	*percent*
सहमत	37	42.5
पूर्ण सहमत	13	14.9
असहमत	29	33.3
पूर्ण असहमत	2	2.3
मालूम नहीं	6	6.9
	87	100.0

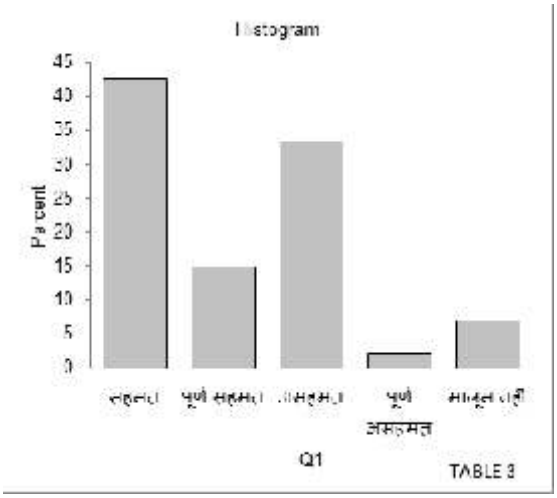

स्रोत अध्ययन क्षेत्र रिपोर्ट 2017

प्रश्न2– क्या पंचायत समिति के विकास कार्यों पर निर्वाचित प्रधान की लैंगिक स्थिति का कोई प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से निर्वाचित प्रधान की लैंगिक स्थिति का पंचायत समिति के विकास कार्यों पर प्रभावों को मापने/जानने का प्रयास किया गया। इस विषय पर कुल 87 उत्तरदाताओं के मत जाने गए। प्राप्त आँकड़ों (तालिका 4) के अनुसार स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के 29.9 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत है कि निर्वाचित प्रधान की लैंगिक स्थिति का पंचायत समिति विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। जबकि 11.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर पूर्ण सहमति दी है कि पंचायत समिति विकास कार्यों पर प्रधान की लैंगिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ इस तथ्य पर असहमति 35.5 प्रतिशत है। जबकि पूर्ण असहमति 8.0 प्रतिशत है। 14.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस विषय पर जानकारी का अभाव है। इस प्रकार व्यापक रूप में देखा जाये तो 43.6 प्रतिशत यह मानते हैं कि निर्वाचित प्रधान की लैंगिक स्थिति का पंचायत समिति विकास कार्यो को प्रभावित नहीं करती है। जबकि 41.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार लैंगिक स्थिति का कोई प्रभाव पड़ता है।

Q2	*frequency*	*percent*
lger	26	29.9
Ik.k lger	10	11.5
vlger	31	35.6
Ik.k vlger	7	8.0
Ekkye ugh	13	14.9
	87	100.0

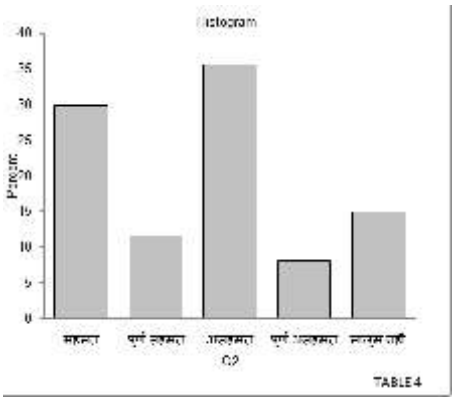

स्रोत अध्ययन क्षेत्र रिपोर्ट 2017

प्रश्न 3– क्या पंचायत समिति के विकास कार्यों पर निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों की लैंगिक स्थिति का कोई प्रभाव पड़ता है? क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों की लैंगिक स्थिति का पंचायत समिति के विकास कार्यों पर प्रभावों को मापने/जानने का प्रयास किया गया। इस विषय पर कुल 87 उत्तरदाताओं के मत जाने गए। प्राप्त आँकड़ों (तालिका 5) के अनुसार स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के 23.0 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों की लैंगिक स्थिति का पंचायत समिति विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। जबकि 17.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर पूर्ण सहमति दी है कि पंचायत समिति विकास कार्यों पर पंचायत समिति सदस्यों की लैंगिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ इस तथ्य पर असहमति 34.5 प्रतिशत है। जबकि पूर्ण असहमति 13.8 प्रतिशत है। 11.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस विषय पर जानकारी का अभाव है। इस प्रकार व्यापक रूप में देखा जाये तो 48.3 प्रतिशत यह मानते हैं कि निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों की लैंगिक स्थिति का पंचायत समिति विकास कार्यों को प्रभावित नहीं करती है। जबकि 40.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार लैंगिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है।

Q3		
	frequency	*percent*
lger	20	23.0
lk.k lger	15	17.2
v lger	30	34.5
lk.k v lger	12	13.8
Ekkye ugh	10	11.5
	87	100.0

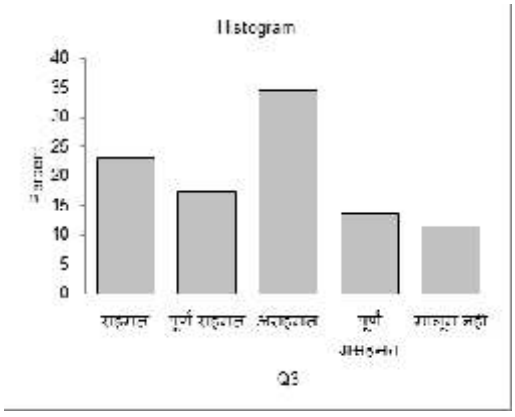

स्रोत अध्ययन क्षेत्र रिपोर्ट 2017

निष्कर्ष एवं सुझाव–

उपर्युक्त शोध के आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास कार्यों पर पंच एवं सरपंच की लैंगिक स्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। परन्तु सम्पूर्ण पंचायत समिति के विकास कार्यों के ऊपर निर्वाचित प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों की लैंगिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि लैंगिक स्थिति का प्रभाव पंचायत समिति के विकास कार्यों पर पड़ता है, के मत में कमी नहीं है। प्रधान के प्रभाव का प्रतिशत 41.4 है जबकि पंचायत समिति के सदस्यों का 40.2 है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचायत समिति के विकास कार्यों पर लैंगिक स्थिति का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। सुझावात्मक रूप में कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी जा सकती है। जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकता है। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। अतः महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने से ग्रामीण विकास कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

(क) प्राथमिक स्रोत– अध्ययन क्षेत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017

(ख) द्वितीयक स्रोत–

1. ओझा, शिवकुमार, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद, 2016 पेज 252
2. मोदी, अनिता, गामीण विकास और पंचायतें, कुरूक्षेत्र मासिक जनवरी 2014 पेज 10
3. मंडल, सम्पादक, भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन, दर्पण प्रकाशक आगरा, 2015 पेज 162
4. शर्मा, राकेश, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, कुरूक्षेत्र मासिक अगस्त 2006 पेज 13
5. कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं– अतीत, वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर–नई दिल्ली, 2006 पेज 1–2
6. कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं– अतीत, वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर–नई दिल्ली, 2006 पेज 1–2
7. महाजन, वी.डी., प्राचीन भारत का इतिहास, एस.चन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि. नई दिल्ली, 2016 पेज 74
8. महाजन, वी.डी., प्राचीन भारत का इतिहास, एस.चन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि. नई दिल्ली, 2016 पेज 85
9. शर्मा, अर्चना, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिताः दौसा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, 2013 पेज 113
10. मधूसूदन, गजेन्द्र सिंह, जैन, सोनू, भारत में पंचायती राजः कल, आज और कल, प्रतियोगिता दर्पण/जून/2016 पेज 98
11. माहेश्वरी, श्रीराम, भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, 2013–14 पेज 20–21
12. शर्मा, अर्चना, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिताः दौसा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, 2013 पेज 9
13. कुंपावत, गिरधारी सिंह, पंचायती राज ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं वर्तमान संरचना, हिमांशु पब्लिकेशंस, उदयपुर–नई दिल्ली, 2004 पेज 33
14. कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं– अतीत, वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर–नई दिल्ली, 2006 पेज 43
15. शर्मा, अर्चना, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिताः दौसा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, 2013 पेज 116
16. मिश्र, निरंजन, भारत में पंचायती राज, परिबोध जयपुर, 2006 पेज 14
17. कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं– अतीत, वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर–नई दिल्ली, 2006 पेज 6–7
18. शर्मा, अर्चना, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिताः दौसा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, 2013 पेज 120
19. शर्मा, अर्चना, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिताः दौसा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, 2013 पेज 122
20. भसीन, अनीश, भारत में पंचायती राजः उद्भव एवं विकास प्रतियोगिता दर्पण/जुलाई/2014 पेज 83

21. ओझा, शिवकुमार, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद, 2016 पेज 253
22. शर्मा, अर्चना, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिताः दौसा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, 2013 पेज 127
23. ओझा, शिवकुमार, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद, 2016 पेज 253
24. राठौड़, गिरवर सिंह, भारत में पंचायती राज, पंचशील प्रकाशन जयपुर, 2004 पेज 32
25. मिश्र, निरंजन, भारत में पंचायती राज, परिबोध जयपुर, 2006 पेज 39
26. शर्मा, अर्चना, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिताः दौसा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, 2013 पेज 134
27. राठौड़,डॉ. गिरवर सिंह, भारत में पंचायती राज, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004 पेज 13
28. राठौड़, डॉ. गिरवर सिंह, भारत में पंचायती राज, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004 पेज 18,19
29. मिश्र, निरंजन, भारत में पंचायती राज, परिबोध जयपुर, 2006 पेज 231
30. मिश्र, निरंजन, भारत में पंचायती राज, परिबोध जयपुर, 2006 पेज 231
31. शर्मा, रामेश्वर पी., राजस्थान पंचायत कानून, यूनिवर्स लॉ पब्लिकेशन,जयपुर,2015 पेज 33–35
32. पुरोहित, अमित, पंचायती राज व्यवस्था,पत्रिका प्रकाशन,जयपुर (2013)
33. मिश्र, निरंजन, भारत में पंचायती राज, परिबोध, जयपुर, 2006
34. कटारिया, डॉ. सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएंः अतीत, वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर–दिल्ली, 2006
35. यादव, धर्मेन्द्र सिंह, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर – नई दिल्ली – बैंग्लोर – मुम्बई – हैदराबाद, 2006
36. राठौड़, मधु पंचायती राज और महिला विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2002
37. वास्कले, कमला 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं का बड़वानी जिले की अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के विकास पर प्रभाव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर (2014)
38. वर्मा, कु. अंशु सरगुजा जिले में ग्राम पंचायतें एवं ग्रामीण विकास (लखनपुर तहसील के विशेष संदर्भ में) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर (2013)
39. श्रीमाली, स्मिता पंचायती राज व्यवस्था में दलित महिलाओं के नेतृत्व की भूमिकाः उदयपुर जिले के सन्दर्भ एक अध्ययन, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर (2012)